



सक्षम उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1249/2005

याचिकाकर्ता : अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स (प्रा.) लिमिटेड,

भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत एक कंपनी,

कारखाना: उरला औद्योगिक क्षेत्र, बीरगाँव, रायपुर (छत्तीसगढ़),

कार्यालय : कृष्णा टॉकीज के पीछे, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.),

द्वारा- श्री अनिल अग्रवाल, पुत्र- श्री एम. एल. अग्रवाल,

निवासी : समता कॉलोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

-विरुद्ध-

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा — विशेष सचिव,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ राज्य, मंत्रालय, रायपुर

(छत्तीसगढ़)

2. अतिरिक्त निदेशक- उद्योग,

उद्योग संचालनालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत याचिका





उच्च न्यायालय, बिलासपुर - छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक 1249/2005

अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स (प्रा.) लिमिटेड

-विरुद्ध-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

09 अगस्त 2005 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें



सही

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

07/08/2005



उच्च न्यायालय, बिलासपुर - छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक 1249/2005

अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स (प्रा.) लिमिटेड

-विरुद्ध-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



उपस्थित: -

याचिकाकर्ता हेतु -: श्री सत्यवान अग्रवाल, श्री आर.एम. सोलापुरकर, अधिवक्ता |

राज्य / प्रतिवादियों हेतु -: श्री एन. के. अग्रवाल, उप महाधिवक्ता, तथा श्री आर. आर. सिन्हा, पैनल अधिवक्ता |

आदेश

(08 अगस्त, 2005 को पारित)

एल.सी. भादू, न्यायाधीश



1. इस रिट याचिका के माध्यम से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत, याचिकाकर्ता ने 7 अगस्त 2004 तथा 23 नवम्बर 2004 को जारी सूचना की वैधता, औचित्य तथा शुद्धता को चुनौती दी है, जिनके माध्यम से अतिरिक्त निदेशक, उद्योग ने दिनांक 3/7-6-2003 की अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित 2001-2006 औद्योगिक नीति 2001-2006 के अनुसार छूट प्रदान करने से इनकार कर दिया है जो /नवीन उद्योग को 10 वर्षों की अवधि के लिए 8% विद्युत शुल्क में छूट तथा 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख तक की ब्याज अनुदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार बनता है।
2. याचिका में वर्णित याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने औद्योगिक नीति 2001-2006 के अनुसार एक नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना की है, और इस प्रकार वह दिनांक 3-1-2003 से प्रारंभ होकर 10 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत उपभोग पर विद्युत शुल्क में छूट का पात्र है तथा 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख की ब्याज अनुदान राशि प्राप्त करने का भी अधिकारी है, क्योंकि याचिकाकर्ता का प्रकरण दिनांक 3-6-2003 को अधिसूचित अधिसूचना के अंतर्गत 2001-2006 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत आता है। याचिकाकर्ता की विद्यमान औद्योगिक इकाई अर्थात् रोलिंग मिल ने 3-8-1998 को उत्पादन प्रारंभ किया, जो कि उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर स्थित पट्टाधृत भूखण्ड क्रमांक 162 में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदत्त भूमि पर तथा इससे लगी हुई याचिकाकर्ता की पट्टाधृत भूमि पर स्थित है। विद्यमान रोलिंग मिल 14386 वर्ग फुट क्षेत्रफल में स्थित थी। याचिकाकर्ता कंपनी ने नवीन औद्योगिक नीति का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एम.एस. इनगट, रनर राइज़र के उत्पादन हेतु एक नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना की, जो कि याचिकाकर्ता की स्वामित्वधीन पट्टाधृत भूमि पर स्वतंत्र एवं पृथक शेड एवं भवन का निर्माण कर स्थापित की गई है, जो कि विद्यमान रोलिंग मिल परिसर में स्थित है तथा जिसमें ₹50 लाख से अधिक मूल्य की नई मशीनें स्थापित की गई हैं। उक्त नवीन औद्योगिक इकाई पूर्णतः स्वतंत्र एवं विद्यमान इकाई के भवन एवं शेड से पृथक है, तथा इस हेतु पूर्व से उपलब्ध विद्युत भार/विद्युत आपूर्ति को भी बढ़ाया गया है। पूर्व में रोलिंग मिल हेतु तत्कालीन म.प्र. विद्युत मंडल (म.प्र.ई.बी.) द्वारा 1200 किलोवाट विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, जबकि नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना एवं संचालन हेतु विद्युत भार को बढ़ाकर 5700 किलोवाट कर दिया गया





है। उक्त नवीन औद्योगिक इकाई के लिए पृथक लेखा-पुस्तक (बही-खाता) का संधारण किया जा रहा है।

3. नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु उद्योग अनुज्ञप्ति, राज्य वाणिज्यिक कर/केंद्रीय विक्रय कर हेतु पंजीयन तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अनुज्ञप्ति प्राप्त किया गया है। पुराने एवं संशोधित औद्योगिक अनुज्ञप्ति, वाणिज्यिक कर एवं केंद्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति की प्रतियाँ क्रमशः अनुलग्नक-पी/3 से पी/6 तक संलग्न की गई हैं। अतः याचिकाकर्ता कंपनी 8% विद्युत शुल्क में छूट तथा 5 वर्षों की अवधि हेतु प्रति वर्ष ₹5 लाख की ब्याज अनुदान राशि प्राप्त करने की पात्र है।

4. उत्तरवादियों की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता जिन छूटों का दावा कर रहा है, वह इकाई औद्योगिक नीति के अनुसार नवीन इकाई नहीं है, बल्कि यह विद्यमान रोलिंग मिल का विस्तार मात्र है तथा याचिकाकर्ता कंपनी नई औद्योगिक नीति के तहत उपरोक्त छूटों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रही है।

5. मैंने याचिकाकर्ता के पक्ष में उपस्थित अधिवक्ता श्री सत्यवान अग्रवाल, श्री आर. एम. सोलापुरकर तथा राज्य/उत्तरवादियों के पक्ष में उपस्थित श्री एन. के. अग्रवाल, उपमहाधिवक्ता एवं श्री आर. आर. सिन्हा, पैनल अधिवक्ता को सुना।

6. श्री सत्यवान अग्रवाल, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान दिनांक 3/7th-06-2003 की अधिसूचना के खंड-4 की ओर आकर्षित करते हुए, जो कि नवीन औद्योगिक नीति से संबंधित है, यह तर्क प्रस्तुत किया कि स्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-पी/1), उद्योग संचालन हेतु अनुज्ञप्ति (अनुलग्नक-पी/3), बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-पी/4), केंद्रीय विक्रय कर नियम, 1957 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-पी/5), पंजीयन प्रमाण-पत्र का प्रपत्र (अनुलग्नक-पी/6), जिस स्थान पर नई औद्योगिक इकाई स्थापित की गई उसका स्थल मानचित्र तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 20-4-2002 (अनुलग्नक-





पी/10 एवं पी/11) से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता कंपनी का प्रकरण नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत आता है, क्योंकि याचिकाकर्ता की विद्यमान इकाई रोलिंग मिल थी, जबकि उसी परिसर में याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा भिन्न उत्पाद अर्थात् एम.एस. इनगट के निर्माण हेतु ₹68,58,997/- की लागत से पूर्णतः पृथक नवीन इकाई स्थापित की गई है। अतः उत्तरवादियों की कार्यवाही नवीन औद्योगिक नीति के अनुरूप नहीं है तथा याचिकाकर्ता 8% विद्युत शुल्क में छूट एवं 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख की ब्याज अनुदान राशि प्राप्त करने का पात्र है।

7. दूसरी ओर, श्री एन. के. अग्रवाल, उपमहाधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उद्योग अनुज्ञप्ति एवं अन्य पंजीयन प्रमाण-पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ये प्रमाण-पत्र वर्ष 1996-98 में रोलिंग मिल के लिए जारी किए गए थे, तथा केवल एम.एस. इनगट संबंधी संशोधन इन पुराने प्रमाण-पत्रों में किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वतंत्र इकाई की स्थापना नीति के खंड-4 के अनुसार नहीं की गई है। अतः याचिकाकर्ता को औद्योगिक नीति 2001-2006 के अंतर्गत उपलब्ध छूट एवं लाभ से वंचित किया जाना उचित था।

8. उत्तरवादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन हेतु यह उपयुक्त होगा कि औद्योगिक नीति के खंड-4 को पुनः उद्धृत किया जाए।

“खंड-4: नवीन औद्योगिक इकाई का अर्थ है —

(1) ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने दिनांक 01-11-2001 या उसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं उत्पादन प्रमाण-पत्र इस आशय को इंगित करते हुए जारी किया गया हो।

(2) वह औद्योगिक इकाई जो किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित की गई हो, उसे भी नवीन इकाई माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करती हो:

(क) उसके लिए पृथक उद्योग अनुज्ञप्ति/केंद्रीय उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति जो भी आवश्यक हो तथा विक्रय कर अधिनियम, वाणिज्यिक कर और केंद्रीय



के अंतर्गत वाणिज्यिक कर का पृथक पंजीयन प्रमाण-पत्र होना चाहिए और उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो।

(ख) उस इकाई हेतु नवीन भवन और शेड का निर्माण किया गया हो तथा नवीन संयंत्र एवं मशीनरी स्थापित की गई हो, जो कि औद्योगिक इकाई के लिए पृथक भूमि पर स्थित हो। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा पृथक विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया हो या अतिरिक्त विद्युत भार की स्वीकृति दी गई हो।

(ग) उक्त इकाई द्वारा निर्मित उत्पाद, विद्यमान इकाई के उत्पादों से भिन्न हों।

(घ) नवीन औद्योगिक इकाई द्वारा अपनी पृथक लेखा पुस्तकों का संधारण किया गया हो।

(अं) इसके अतिरिक्त, बिंदु संख्या 1 की शर्तों को भी पूरा किया जाना चाहिए।”

9. अनुलग्नक-पी/10 और पी/11 के अनुसार, वाणिज्यिक और औद्योगिक विभाग, सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, रायपुर द्वारा 20 अप्रैल 2002 और 13-2-2003 को आदेश और अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत अन्य उद्योगों के अलावा, खंड-2 के अनुसार, स्टील और लोहे पर आधारित ₹50 लाख मूल्य का एक उद्योग शामिल किया गया है। अतः नवीन औद्योगिक नीति के लाभ का लाभ प्राप्त करने हेतु, जैसा कि दिनांक 3/7 जून 2003 की अधिसूचना में उल्लेखित है, उक्त नवीन इकाई को उपरोक्त शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

10. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यदि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया जाए, तो अनुलग्नक-पी/1 एक स्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र है, जो निदेशक, उद्योग, रायपुर द्वारा 3-8-1998 को याचिकाकर्ता की मौजूदा इकाई अर्थात् अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स (प्रा.) लि. को जारी किया गया था। यह उद्योग पुनः-रोलिंग





उत्पाद (re-rolling products) हेतु था, जिसकी उत्पादन क्षमता 13,000 मीट्रिक टन तक थी। उक्त प्रमाण-पत्र से यह स्पष्ट होता है कि 28-2-2002 को उत्पादन क्षमता को 18,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाया गया था और इस प्रमाण-पत्र के पिछले भाग में यह दर्शाया गया है कि दिनांक 20 मार्च 2003 को एक अतिरिक्त उत्पाद के रूप में एम.एस. इन्गट (M.S. Ingot) जोड़ा गया था। इसी प्रकार, अनुलग्नक-पी/3 के रूप में औद्योगिक संचालन हेतु जो अनुज्ञप्ति जारी किया गया था, वह मूलतः इस्पात के पुनः-रोलिंग (steel re-rolling) के लिए अनुज्ञप्ति क्रमांक 279/14378/ RPR / 2MCS के अंतर्गत जारी किया गया था, जिसकी वैधता 30 दिसंबर 2001 तक नवीकृत की गई थी। इसी अनुलग्नक के दूसरे भाग, पृष्ठ 19 पर यह दर्शाया गया है कि वर्ष 2003 में औद्योगिक संचालन का अनुज्ञप्ति 31 दिसंबर 2003 तक नवीकृत किया गया, जिसमें इस्पात के पुनः-रोलिंग के अतिरिक्त एम.एस. इन्गट का उत्पादन भी जोड़ा गया, और यह अनुज्ञप्ति 9-7-2003 को जारी हुआ। दिनांक 28-1-2005 की पत्रावली, जो उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर द्वारा याचिकाकर्ता कंपनी के श्री अनिल अग्रवाल को दिनांक 27-12-2004 के उनके पत्र के संदर्भ में भेजी गई, में यह जानकारी दी गई कि नया औद्योगिक अनुज्ञप्ति केवल तब जारी किया जाता है जब औद्योगिक पूर्णतः नई हो। परंतु आपके पत्र से यह प्रतीत होता है कि अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स (प्रा.) लि., उरला का विस्तार किया गया है तथा कुछ फर्नेस (भट्टी) की स्थापना की गई है, अतः केवल विस्तार हेतु ही अनुज्ञप्ति में संशोधन किया जाता है। अनुलग्नक-पी/4 मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जारी स्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र है। इसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रारंभ में यह प्रमाण-पत्र पुनः-रोलिंग उत्पादों के निर्माण हेतु जारी किया गया था, किंतु दिनांक 7-10-2002 से एम.एस. इन्गट को भी इसमें शामिल कर संशोधन किया गया। इसी प्रकार, पृष्ठ 22 पर वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में वाणिज्यिक पंजीयन प्रमाण-पत्र अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स (प्रा.) लि. को दिनांक 2-9-1998 को जारी किया गया था, तथा बाद में दिनांक 2-12-2002 को एम.एस. इन्गट को इसमें शामिल किया गया। अनुलग्नक-पी/5 केंद्रीय वाणिज्यिक कर नियम, 1957 के नियम 5(1) के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र है, जो प्रारंभ में दिनांक 11-7-1996 को अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स (प्रा.) लि. को जारी किया गया था, तथा दिनांक 2-12-2002 को एम.एस. इन्गट को उसमें शामिल किया गया। केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत भी यही स्थिति है। इसी प्रकार 30 अगस्त 1996 को





केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी प्रोफार्मा पंजीयन प्रमाण-पत्र में भी यही स्थिति परिलक्षित होती है।

11. उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता कंपनी को वर्ष 1996-98 में जारी मूल प्रमाण-पत्रों में केवल एक नए उत्पाद एम.एस. इन्गट के संबंध में प्रविष्टियाँ (insertions) की गई हैं। जबकि औद्योगिक नीति की धारा-4 की आवश्यकताओं के अनुसार पृथक औद्योगिक अनुज्ञप्ति, केंद्रीय विक्रय कर (Central Sales Tax) अनुज्ञप्ति, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise) अनुज्ञप्ति एवं राज्य एवं केंद्र अधिनियम के अंतर्गत पृथक विक्रय कर पंजीयन प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। जहाँ तक पृथक लेखा पुस्तकों के संधारण (maintenance of separate account books) का प्रश्न है, याचिका में इसका उल्लेख किया गया है, किंतु रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि एम.एस. इन्गट इकाई हेतु पृथक लेखा पुस्तकें रखी जा रही हैं तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम एवं राज्य विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत पृथक कर निर्धारण (assessment) किया जा रहा है। इन सभी दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में किसी भी प्रकार के पृथक पंजीयन प्रमाण-पत्र अथवा अनुज्ञप्ति जारी नहीं किए गए हैं जो यह इंगित करें कि कोई नवीन इकाई स्थापित की गई है। अन्य शब्दों में कहें तो याचिकाकर्ता द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे औद्योगिक नीति की धारा-4 में उल्लिखित "नवीन इकाई" की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते। अतः उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता नवीन औद्योगिक नीति, अनुलग्नक-पी/2, जो वर्ष 2001 से राज्य शासन द्वारा प्रभावशील की गई है, के अंतर्गत दिए गए लाभ एवं छूट प्राप्त करने का कोई उपयुक्त आधार प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, (1999) 8 एस.सी.सी. 547** के मामले में, अपने पूर्व निर्णय **यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम वुड पेपर्स लिमिटेड, (1990) 4 एस.सी.सी. 256**, के मामले में पारित निर्णय का अवलंबि लेते हुए कंडिका-5 का आश्रय लेते हुए, पैरा-5 में यह अभिनिर्धारित किया है कि: "यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी कर से छूट देने वाली अधिसूचना, विशेषकर वित्तीय मामलों में, का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, और उसका लाभ प्राप्त करने का दावा करने वाले व्यक्ति को यह सिद्ध करना होता है कि उसका मामला छूट अधिसूचना के अंतर्गत





आता है। अधिसूचना को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि टुकड़ों में" यह अवलोकन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13-3-1981 की अधिसूचना की व्याख्या करते हुए की गई थी, जो कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 3-8 के अंतर्गत जारी की गई थी, जिसमें उद्योग चलाने वाले सभी उत्पादकों को 10-12-1980 से प्रभावशील अवधि के लिए शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त मामले में भी अपीलकर्ताओं ने अपने स्वयं के विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किए थे और उक्त अधिसूचना के अंतर्गत लाभ का दावा किया था।

12. अतः याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष यह स्थापित करने में असफल रहा है कि याचिकाकर्ता कंपनी ने दिनांक 3/7-6-2003 को अधिसूचित औद्योगिक नीति की धारा-4 के अंतर्गत परिकल्पित एक नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना की थी। विद्युत शुल्क एवं ब्याज पर छूट प्रदान करने से पूर्व शासन की मंशा यह थी कि राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने एवं जनसामान्य को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। किन्तु, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि यह एक पूर्णतः स्वतंत्र नवीन इकाई न होकर पूर्व से स्थापित इकाई का ही विस्तार (Expansion) था और यह औद्योगिक नीति की धारा-4 की शर्तों के अनुरूप पूर्णतः स्वतंत्र इकाई नहीं थी।

13. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की याचिका असफल होती है एवं इसे निरस्त किया जाता है, तथापि, पक्षकारों को व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

सही

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही



अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Juhi Anguriya

